# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम | प्रत्यर्थीगण का नाम | प्रस्तुतिकरण की दिनांक | अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता का नाम | आलोच्य आदेश दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1314/2023<br>डॉ. कमलेश मिश्रा | 1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।<br>2. निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर (राज.)।<br>3. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद एवं नेचूरोपैथी, समन्वित कॉलेज सीकर (राज.)। | 25.04.2023 | श्री प्रमीन्द्र दाधीच, अभिभाषक<br>एवं<br>श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता | 18.07.2022<br>एवं<br>20.02.2023 |
| 2. | 1315/2023<br>डॉ. गोविन्द मीणा | | | | 18.07.2022<br>एवं<br>21.02.2023 |
| 3. | 1316/2023<br>डॉ. तरूण मीणा | 1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।<br>2. निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर (राज.)।<br>3. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, केकडी, अजमेर (राज.)। | | | 30.08.2022<br>एवं<br>20.02.2023 |

**आदेश की दिनांक** : 09.05.2023

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1314/2023 डॉ. कमलेश मिश्रा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर आयुर्वेद

औषधालय, धोंद, सीकर में कार्यरत है। वर्तमान में अपीलार्थी व्याख्याता (एसोसिएट प्रोफेसर) शरीर रचना विभाग, राजकीय आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद औषधालय, शाहपुरा (HWC) धोंद, सीकर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 20.02.2023 द्वारा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, किरडोली बडी, सीकर पदस्थापित किया गया। जबकि उक्त आदेश दिनांक 18.07.2022 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी नहीं किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय में व्याख्याता संहित सिद्धांत के पद पर शिक्षण कार्य के लिये कार्यव्यवस्थार्थ लगाया है, अपीलार्थी का पद आयुर्वेद चिकित्साधिकारी का है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का केडर चेंज कर स्थानान्तरण किया गया है। आगे उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन को राज्य सरकार द्वारा प्रतिप्रेषित किया हुआ है, इस संबंध में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने स्थाई आदेश/परिपत्र दिनांक 27.06.1991, 15.02.2003, 19.04.2008 एवं 22.09.2014 जारी करके कार्य व्यवस्था एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा डॉ. कैलाश चन्द्र गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7341/2017 में पारित अन्तिम निर्णय/आदेश दिनांक 14.09.2017 को उद्धृत किया है जो कि निम्न प्रकार है :–

> *"1. Impugned order dated 24.05.2017 does not bring out whether the petitioner is being transferred from the current place of posting to the Primary Health Centre, Koliyari District Udaipur. The order records it to be a case of working arrangement. What does that mean is not clear. Should the respondents in the exigency of service require a person to be posted at a particular hospital or a dispensary, the order must bring out that the order is a transfer order.*
>
> *2. The reason is that when a government servant is transferred he is entitled to a transfer allowance. He is entitled to avail a period to join at the place of transfer after being relieved from current place.*
>
> *3. I dispose of the petition quashing the impugned order dated 24.05.2017, operation whereof was stayed by this Court.*

*4. I clarify, the Respondents would be free to pass a proper order should one be passed against the petitioner."*

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि एन.सी.आई. एस.एम. ने भी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर को अनुमति नहीं दी है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा पत्र जो सभी राज्यों को जारी किया गया है, जिसमें निम्नांकित किया गया है :–

*"The post of Ayurved Medical Officer and teaching faculty are non-interchangeable. In case of deputation of Medical Officer as Teacher, it shall be with qualification, designation and experience as specified in this regulation and the deputation shall not be less than three years and any emergency withdrawal shall be after proper replacement or ulternate arrangement"*

इस प्रकार अपीलार्थी का पदस्थापन किया जाना उक्त निर्देशों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2023 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी का पदस्थापन जनहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर आयुर्वेद औषधालय, धोंद, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, किरडोली बडी, सीकर में व्याख्याता (रचना शरीर) के पद पर शिक्षण कार्य के लिये कार्यव्यवस्थार्थ लगाया है, अपीलार्थी का पद आयुर्वेद चिकित्साधिकारी का है। इस प्रकार अपीलार्थी का केडर चेंज कर स्थानान्तरण किया गया है। कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन को राज्य सरकार द्वारा प्रतिप्रेषित किया हुआ है, इस संबंध में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने

स्थाई आदेश/परिपत्र दिनांक 27.06.1991, 15.02.2003, 19.04.2008 एवं 22.09.2014 जारी करके कार्य व्यवस्था एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा डॉ. कैलाश चन्द्र गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7341/2017 में पारित अन्तिम निर्णय/आदेश दिनांक 14.09.2017 में ऐसे पदस्थापन आदेशों को युक्तियुक्त नहीं माना है।

एन.सी.आई.एस.एम. ने भी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर को अनुमति नहीं दी है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा पत्र जो सभी राज्यों को जारी किया गया है, जिसमें निम्नांकित किया गया है :–

> *"The post of Ayurved Medical Officer and teaching faculty are non-interchangeable. In case of deputation of Medical Officer as Teacher, it shall be with qualification, designation and experience as specified in this regulation and the deputation shall not be less than three years and any emergency withdrawal shall be after proper replacement or ulternate arrangement"*

उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं 21.02.2023 (**respectvily as mentiond above table** ) अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं 30.08.2022 (अनुलग्नक–1) (respectvily) की पालना में कार्यमुक्त किया जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 1314/2023 डॉ. कमलेश मिश्रा बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**